(102)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2017/1905 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–5–2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार तहसील व जिला धार, प्रकरण क्रमांक 1/अ–12/2016–17.

1–तेजाराम पिता श्री राजाराम कुशवाह
2–कैलाशचन्द्र पिता श्री अम्बारामजी कुशवाह
3–निर्भयसिंह पिता श्री धुलाजी कुशवाह
4–आत्माराम पिता श्री मांगीलालजी कुशवाह
5–नरसिंह पिता चम्पालाल कुशवाह
6–दूलेसिंह पिता धन्नालाल कुशवाह
7–बनेसिंह पिता श्री अम्बाराम कुशवाह
8–मुन्नालाल पिता रामसिंह कुशवाह
सभी निवासी ग्राम कानवन जिला धार

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–भीमसिंह पिता जगन्नाथ
2–सरदार पिता जगन्नाथ
3–प्रेमसिंह पिता जगन्नाथ
4–रामचन्द्र पिता जगन्नाथ
सभी निवासी ग्राम कानवन जिला धार

..... अनावेदकगण

.....

श्री सुभाष पटेल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–5–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला धार के समक्ष उनके स्वत्व स्वामित्व की ग्राम कानवन स्थित भूमि सर्वे नम्बर 615/1, 615/2, 615/3 एवं 615/4 कुल रकबा 0.316 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ—12/16—17 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का नायब तहसीलदार से सीमांकन कराया जाकर दिनांक 8—5—17 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3— आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं प्रकिया से परे जाकर विवादित स्थल का वास्तविक तथा सही मौका व स्थल निरीक्षण किये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सीमांकन करने संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 31 व 32 के प्रावधानों को समझने में भूल करते हुये विधि के महत्वपूर्ण उपबंधों को अनदेखा करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4— अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विधित प्रकिया का पालन करते हुये सीमांकन आदेश पारित किया गया इसलिये नायब तहसीलदार द्वारा किया गया सीमांकन विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5— उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत् उभयपक्ष सहित

पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में फील्डबुक पंचनामा व नक्शा आदि तैयार करवाकर जरीब से विधिवत् सीमांकन किया गया है । अतः नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8—5—2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.